न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. सौम्या झा, आई0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्याः— 330/2010 (264/2008)

रूपसिंह पुत्र श्री नत्थी जाति बघेला ठाकुर निवासी जघीना चार थोक तहसील व जिला भरतपुर ....वादी

बनाम

1. मोहनसिंह उर्फ रुग्गी पुत्र पीता
2. रोहताश } पिसरान मोहनसिंह
3. राकेश
जातियान बघेला ठाकुर निवासी जघीना चार थोक तह0 व जिला भरतपुर

....................असल प्रतिवादीगण

4. भंवरसिंह पुत्र श्री चूराराम जाति बघेला ठाकुर निवासी जघीना चार थोक तह0 व जिला भरतपुर।

..................तरतीवी प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः— 08—04—2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नंबर 2481 रकबा 0.07 एयर वाके ग्राम जघीना नंबर 1 तहसील भरतपुर में स्थित है जो वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में है जिस पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी वहिस्सा बराबर वहैसियत खातेदार काबिज है।

उक्त आराजी मुतनाजा से प्रतिवादीगण का कोई संबंध अथवा कब्जा नहीं है मगर प्रतिवादीगण ने एक नाजायज गिरोह बना लिया है तथा वे अपनी ताकत के बल से वादी की उक्त

आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल करने की फिराक मे है तथा काश्त करने में रुकावट करना चाहते हैं, जबकि उन्हें इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी ने कल दिनांक 06.08.2008 को वादी को स्पष्ट धमकी देते हुए कहा है कि वे व उसके साथी तुम्हें उक्त आराजी से जबरन बेदखल करके रहेंगे तथा तुम्हें फसल लेने से महरूम कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इरादे में कामयाब हो गये तो वादी को अजीम क्षति होगी जो जरिये नकद से पूरी न हो सकेगी तथा वादी को वेजा मुकदमेबाजी में फसना पड़ेगा। इसलिए ऐसी सूरत में वादी को यह दावा खिलाफ प्रतिवादीगण लाना आवश्यक हो गया है तथा वादी प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की उक्त आराजी में निष्फ भाग में किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करें और न ही काश्त करने में कोई बाधा उत्पन्न करें। वाद का कारण वादी को दिनांक 06.08.2008 व रोज धमकी देने प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम जघीना तह0 भरतपुर में जारी हुआ।

इस प्रकार वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को इस कदर पाबन्द किया जावे कि वे वादी की खातेदारी के खसरा नंबर 2481 रकबा 0.07 के वाके ग्राम जघीना तह0 भरतपुर में निहित 1/2 हिस्सा में किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करें और न ही काश्त करने में कोई व्यवधान पैदा करें और न ही कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि वादी के हक हकूको पर विपरीत असर पड़े। वादी ने अपने दावा के समर्थन में संवत 2064—2067 की जमाबंदी पेश की हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये और अपना जबाव दावा दि0 05.06. 2009 प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा अपना जवाब पेश न करने पर दिनांक 14.06.2010 को इनका जवाब बंद किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 ने दावा में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर दावा वादी खारिज करने का निवेदन किया है। इनके द्वारा जवाब दावा के विशेष कथन में अंकित किया है कि आराजी खसरा नंबर 2481/0.07 वाके ग्राम जघीना नं0 1 तहसील भरतपुर में स्थित है। जिसके प्रतिवादी नंबर 1, 1/2 हिस्से का तथा शेष 1/2 हिस्से की प्रतिवादी मोहनसिंह की भतीजी माया खातेदार थी माया ने अपना 1/2 हिस्सा भंवरसिंह बघेल को विक्रय कर दिया तथा प्रतिवादी अपने 1/2 हिस्से पर काबिज है। वादी का आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। दावा वादी असत्य पेश किया है जो काबिल खारिजी के है।

वादी बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने पहले तो माया वाले हिस्से की फर्जी रजिस्ट्री (वयनामा) करानी चाही लेकिन जब यह मालुम पडा कि माया के हिस्से का वयनामा हो चुका है तो वह बिना तस्दीक का वयनामा वापिस हुआ उसके बाद प्रतिवादीगण को बिना पढे लिखे का व गरीबी का फायदा उठाकर प्रतिवादी मोहनसिंह के नाम से एक फर्जी वयनामा वादी ने अपने हक में करा लिया जिस पर प्रतिवादी का फोटो किसी अन्य वयनामा के फोटो से फोटो बनवाकर लगाया व फर्जी व्यक्ति खडा करके चुपके से अपने नाम फर्जी वयनामा करा लिया तथा जिसका अमल भी चुपके से अपने नाम करा लिया अब वादी काफी सालों बाद कब्जा करने लगा तो प्रतिवादी ने कब्जा नहीं होने दिया तो यह असत्य दावा पेश कर दिया जो काबिल खारिजी के है।

प्रतिवादी सं0 1 ने वादी व वादी के गवाहों के विरुद्ध मुकदमा धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी ता0हि0 के तहत थाना मथुरा गेट भरतपुर में दर्ज कराया जो अब डी.जी. साहब पुलिस के जरिये ए.एस.पी. भरतपुर के यहां विचाराधीन है। इस प्रकरण से बचने के कारण यह असत्य दावा वादी ने पेश किया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

वादी का जब आराजी पर कब्जा ही नहीं है तो बिना कब्जे के दावा धारा 188 राज0टी0एक्ट0 मैंटेनेबल नहीं है।

तत्पश्चात दावा में निम्नांकित तनकियात कायम की गईं—

तनकी नंबर 1— ''आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी हैं ?'' ...... वादी

तनकी नंबर 2— ''आया वादी ने फर्जी कूटरचित वयनामा अपने पक्ष में बनवाया है जिसके विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120—बी आई.पी.सी. की वादी व उसके गवाहों के विरुद्ध मथुरागेट थाना में मामले कायम हैं ?'' ....प्रतिवादी

तनकी नंबर 3— ''आया वादी का कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा, दावा वादी काबिल खारिजी के है?''.. प्रतिवादी

4. दादरसी

उपरोक्तानुसार तनकी कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। किंतु बार— बार अवसर प्रदान करने के बावजूद भी साक्ष्य न आने पर दिनांक 08.08.2012 को साक्ष्य वादी बंद की गई। इसी प्रकार साक्ष्य प्रतिवादी में भी कई अवसर दिये गये किंतु साक्ष्य प्रतिवादी भी न आने पर दिनांक 04.12. 2013 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी, उनके द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है —

तनकी नंबर 1— ''आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी हैं ''।

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादी का है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में संवत 2064—2067 की जमाबंदी पेश की है। जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 4 आराजी में 1/2 — 1/2 के सहखातेदार काश्तकार हैं। धारा 188 आर.टी.ए. के अनुसार वादी का आराजी पर कब्जा होना आवश्यक है और जमीन को काश्तकार के कब्जे में माना जाता है, जब तक कि अतिक्रमी यह सिद्ध नहीं कर दे, कि उसका जमीन पर ठोस रूप से कब्जा है। इस बावत प्रतिवादी 1 लगायत 3 ने कोई भी कब्जे बावत दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। चूंकि वादग्रस्त आराजी का वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और कब्जा भी वादी का ही है। इस कारण यह तनकी वहक वादी निर्णित की जाती है।

<u>**तनकी नंबर 2—**</u> ''आया वादी ने फर्जी कूटरचित वयनामा अपने पक्ष में बनवाया है जिसके विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120—बी आई.पी.सी. की वादी व उसके गवाहों के विरुद्ध मथुरागेट थाना में मामले कायम हैं '' । इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 ने अपने जवाब दावा में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के प्रतिवादी सं0 1, 1/2 हिस्से का तथा शेष 1/2 हिस्से की प्रतिवादी मोहनसिंह की भतीजी माया खातेदार थी। माया ने अपना 1/2 हिस्सा भंवरसिंह को विक्रय कर दिया तथा प्रतिवादी अपने 1/2 हिस्से पर काबिज है। वादी का आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा। वादी द्वारा माया वाले हिस्से की फर्जी रजिस्ट्री करानी चाही। तत्पश्चात मोहनसिंह के नाम से फर्जी वयनामा वादी ने अपने पक्ष में करा लिया और अपने नाम अमल भी करा लिया। जिसकी बावत वादी के विरुद्ध थाना मथुरागेट भरतपुर में प्रकरण विचाराधीन है। किंतु प्रतिवादीगण द्वारा अपने उपरोक्त तथ्यों के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2064 —2067 के अनुसार वर्तमान में वादी व प्रतिवादी सं0 4 ही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 वहक वादी तय की जाती है। 8

तनकी नंबर 3– ''आया वादी का कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा, दावा वादी काबिल खारिजी के है '' । इस तनकी को भी सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया गया है कि आराजी में प्रतिवादी सं0 4 सहखातेदार काश्तकार है और बिना बंटवारे के वह भी धारा 188 के हकदायी है। प्रतिवादी सं0 4 भी आराजी की प्रत्येक इंच पर हकदार है। जब तक जमीन का बंटवारा नही हो जाता तो प्रतिवादी सं0 4 के हकों पर असर पडेगा। यहां यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 4 की संयुक्त आराजी है और आराजी पर इनका ही कब्जा है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 किसी भी प्रकार से अपना कब्जा साबित नही कर सके है और वे अनावश्यक रूप से भूमि पर हस्तक्षेप करना चाहते है। अतः कब्जे के अभाव में यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 वहक वादी निर्णित की जाती है।

5. **दादरसी–** वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से यह पूर्णतया साबित है कि वादी व प्रतिवादी सं0 4 आराजी के सह खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही है। एक रिकॉर्डेड खातेदार की आराजी में प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 के द्वारा किसी भी तरह से हस्तक्षेप व दखलन्दाजी की जाती है तो वादी को असीमित क्षति होगी जिसकी भरपाई नही हो सकेगी।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य पाते है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादी अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 को जरिये डिक्री स्थायी

निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम जघीना नं0 1 तहसील भरतपुर स्थित वादी की खातेदारी के खसरा नं0 2481/0.07 है0 में 1/2 हिस्सा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें और न ही वादी को काश्त करने से रोकें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official